**प्रेस नोट**

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**दिनांक- 08.07.2026**

- **थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.06.2026 को वादी श्री संतोष कुमार यादव पुत्र स्व0 बड़ेलाल यादव निवासी ग्राम जरहौलिया, थाना औरैया, जनपद औरैया द्वारा उसके पुत्र सुनील कुमार का शव महेरा गांव के पास खेत में मिलने जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किये जाने की पुष्टि होने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 222/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में अभियुक्त प्रहलाद संखवार पुत्र रामलाल निवासी भवनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियोग में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 08.07.2026 को प्रकाश में आये अभियुक्त प्रहलाद संखवार पुत्र रामलाल निवासी भवनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को मृतक के मोबाइल व ₹ 1740 नकद के साथ ग्राम भवनपुर व नारखुर्द गांव के बीच पुलिया के पास, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ-** अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं ई-रिक्शा चलाता हूँ तथा दिनांक 25/05/2026 को मैं ई-रिक्शा से रसूलाबाद से मिण्डाकुआं की सवारिया ला रहा था तो एक सवारी जो शराब के नशे में था वह सुकमपुर के लिए बैठाया था तथा उसके अलावा सभी सवारी मिण्डाकुआं में उतारकर उसको वहां से लेकर सुकमपुर के लिए चला तो उसके पास मोबाइल व पैसे थे मुझे लालच आ गया तथा मैं जैसे ही महेरा मोड से आगे बढ़ा तो उसका गला दबाकर उसका मोबाइल व करीब ₹ 4,000 उसकी जेब से निकालकर उसे रोड के किनारे खंती में फेककर ई-रिक्शा लेकर घर चला आया था। यह जो मोबाइल तथा रुपये मेरे पास से मिले हैं उसी मृतक के हैं तथा कुछ रुपये खर्च कर दिये हैं। पहले इस मोबाइल को मैंने अपने गाँव के ही अजय कुमार पुत्र शिवराम दिवाकर को 2000/- रू0 में उधार में बेचा था किन्तु उससे रुपये मांगने पर उसने नहीं दिये तो मैने मोबाइल वापस ले लिया था तथा मोबाइल बेचने हेतु ग्राहक ढूंढ रहा था तथा ई-रिक्शा मेरा खराब है जो घर पर खड़ा हुआ है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –**

प्रहलाद संखवार पुत्र रामलाल निवासी भवनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 36 वर्ष।

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 222/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 श्री शिवनरायन सिंह, थाना रसूलाबाद,
2. हे0का0 612 शैलेन्द्र सिंह, थाना रसूलाबाद,
3. का0 227 अजय पाल सिंह, थाना रसूलाबाद,
4. सर्विलान्स टीम कानपुर देहात।